E-mail

बिहार सरकार
<u>मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग</u>

<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–...............

संख्या–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–21 / 2019–1952 / श्री अरूण कुमार मिश्र, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, कटिहार के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति, अनुज्ञप्ति का विलंब से विघटन एवं पद का दुरूपयोग करते हुए राजस्व क्षति की सूचना जिला पदाधिकारी को नहीं देना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन करना एवं विभागीय नियमावली एवं वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करने आदि आरोप में संकल्प संख्या–1489 दिनांक 16.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी –सह– विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–189 दिनांक–22.02.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन में आरोप सं0–02 को प्रमाणित एवं आरोप सं0–01 को अंशतः प्रमाणित तथा आरोप सं0–03, 04 को प्रमाणित नहीं होता है, निष्कर्षित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप एवं आरोप सं0–03 एवं 04 में विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–897 दिनांक 15.03.2018 द्वारा श्री मिश्र से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी ।

3. श्री मिश्र द्वारा अपने पत्रांक–444 दिनांक 20.06.2018 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए लगाये गए आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री मिश्र ने अपने द्वितीय बचाव में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है।

4. संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मिश्र से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2015 के नियम–14 (vi) के तहत् 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–127 दिनांक 16.01.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–278 दिनांक 08.05.2019 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव श्री मिश्र के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2005 के नियम–14 (vi) के तहत् 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24/05/19
(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–21/2015 –............../ 1952 पटना, दिनांक– 29.05.19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

29/05/19

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–21/2015 –............../ 1952 पटना, दिनांक– 29.05.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कटिहार/अधीक्षक मद्य निषेध, कठिहार/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री अरूण कुमार मिश्र, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक मद्य निषेध, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/05/19

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।